

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**॥ अधिसूचना ॥**

पटना-15, दिनांक-20.06.2018

संख्या-14/प्रो० 119/2016-8221 सा०प्र०-बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित पे-बैंड ₹ 15,600- 39,100/-, ग्रेड पे ₹ 6,600/-, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-11) के निम्नांकित पदाधिकारियों को विभागीय परिपत्र सं०-4800 दिनांक-1.04.2016 के आलोक में अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान रु.15,600-39,100 ग्रेड पे रु. 7,600/-, पुनरीक्षित पे लेवल-12) में कॉलम-4 में अंकित तिथि के प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति दी जाती है:-


क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	2011 का कोटि क्रमांक	वैचारिक प्रोन्नति की तिथि	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3	4	5
1.	श्री जय शंकर प्रसाद	510	23.06.16	जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गोपालगंज।
2.	श्री जैनेन्द्र कुमार	582	01.07.17	अपर समाहर्ता, (लोक शिकायत निवारण) -सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मुंगेर।
3.	श्री वीरेन्द्र प्रसाद	616	9.05.2017	जिला परिवहन पदाधिकारी, शिवहर।
4.	श्री पुरुषोत्तम पासवान	644	9.05.2017	वरीय उप समाहर्ता, औरंगाबाद। (उप सचिव स्तर में उत्कृष्टित)
5.	श्री कमलेश सिंह	659	9.05.2017	विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना। (उप सचिव स्तर में उत्कृष्टित)
6.	श्री मो० खुशीद आलम अंसारी	670	9.05.2017	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।
7.	श्री भरत भूषण प्रसाद	708	9.05.2017	जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर।
8.	श्री अरुनाभ चन्द्र वर्मा	716	9.05.2017	उप सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
9.	श्री नन्द किशोर राह	747	9.05.2017	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णियाँ। (उप सचिव स्तर में उत्कृष्टित)
10.	श्री रविन्द्र नाथ प्रसाद सिंह	749	9.05.2017	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज।

2. यह प्रोन्नति औपबधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) संख्या-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिए अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्कृष्टित करते हुये उन्हें उसी पद पर पदस्थापित किया जाता है।

4. उपर्युक्त नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
( विमलेश कुमार झा )


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक 14/प्रो० 119/16 सा०प्र०-8221/

पटना-15, दिनांक-20.06.2018

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ ( प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से ) / महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार,

पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य कार्य विभाग/ सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेश, राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना/ संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।